न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 92/2025 अपील (GCMS 2025/109)
पंजीयन दिनांक – 07/05/2025
निर्णय दिनांक – 27/02/2026

1. श्री देवीलाल पुत्र अम्बालाल भोई,
2. श्रीमती तुलसीबाई पत्नी स्व. केशुलाल भोई,
3. श्री जगदीश चंद्र पुत्र स्व. श्री केशुलाल भोई,
4. श्री शांतिलाल पुत्र स्व. श्री केशुलाल भोई,
5. श्री प्रदीप पुत्र स्व. श्री केशुलाल भोई, सर्व निवासीयान 22, कहार भोईवाड़ा, उदयपुर
6. श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री केशुलाल भोई, निवासी 37, पुरोहितों की मादडी, रोड नम्बर 1, उदयपुर राजस्थान
7. श्रीमती गायत्री देवी भोई पुत्री स्व. श्री केशुलाल भोई, पत्नी श्री ओम प्रकाश भोई, निवासी 2455, हनुमान मंदिर गली, मधु नर्सरी के पास, हिरण मगरी, सेक्टर नम्बर 3, मनवाखेड़ा, उदयपुर

–अपीलांट्स

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा उदयपुर (राज.)

– रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–

1. अनिल टेलर – वकील अपीलांट
2. मुरलीधर पालीवाल – राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के प्रकरण संख्या 108/2022 (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 एल.आर.एक्ट) निर्णय दिनांक 26.03.2025

निर्णय

दिनांकः 27/02/2026

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

के प्रकरण संख्या 108/2022 (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट) निर्णय दिनांक 26.03.2025 के विरूद्ध पेश की गयी।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने धारा–136, भू राजस्व अधिनियम–1956 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि ग्राम मादड़ी, तहसील गिर्वा में आराजी नम्बर 173 पुराना रकबा 0.0400 हैक्टर नया नम्बर 108 उनके एवं अम्बालाल की पैतृक कृषि भूमि स्थित है जो सेटलमेंट से पूर्व अम्बालाल उर्फ बंशीलाल पिता हीरालाल के नाम दर्ज थी। अम्बालाल को बालकिशन के नाम से भी पुकारा जाता था। अम्बालाल की मृत्यु के बाद विरासत के नामान्तरकरण में अम्बालाल के बजाय बालकिशन नाम दर्ज हो गया। राजस्व अभिलेख में भी बालकिशन नाम दर्ज होने से अपीलार्थीगण को कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जबकि अन्य अभिलेखों में अम्बालाल नाम दर्ज है जिससे राजस्व अभिलेख में भी बालकिशन के बजाय अम्बालाल नाम दर्ज करवाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 26.03.2025 को अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर यह प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थीगण ने बहस करते हुए अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अम्बालाल का बचपन का नाम बालकिशन था बाद में धार्मिक रीति रिवाज से अम्बालाल नाम रखा गया। बालकिशन एवं अम्बालाल एक ही व्यक्ति के नाम है। दोनों नामों से उन्हें पुकारा जाता था। बालकिशन ने अपने जीवन में कई संव्यवहार अम्बालाल के नाम से किये। सेटलमेंट से पूर्व रिकोर्ड में अम्बालाल उर्फ बालकिशन नाम दर्ज था। बाद में रिकोर्ड में बालकिशन दर्ज हो गया। विरासत के नामान्तरकरण में भी

न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

बालकिशन नाम दर्ज है। अपीलार्थीगण अम्बालाल के वारिस है जिनके अभिलेखों में अम्बालाल नाम ही दर्ज है जिससे राजस्व अभिलेख में भी अम्बालाल नाम दर्ज कराना आवश्यक है। अंत में अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान बताया कि ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ है जिससे स्पष्ट हो कि अम्बालाल व बालकिशन एक ही व्यक्ति का नाम है। अतः अपील निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। धारा–136, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 भूमि रिकोर्ड अधिकारी को यह अधिकार देती है कि वह लिपिकीय त्रुटियों या उन त्रुटियों को, जिन्हें संबंधित पक्ष स्वीकार करते हैं, ठीक कर सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में अम्बालाल के वारिसान द्वारा अपने पिता की खातेदारी भूमि की इन्द्राज दुरूस्ती चाही गई है जिसमें जमाबन्दी में दर्ज 'बालकिशन' नाम को 'अम्बालाल' से दुरूस्त करवाने की प्रार्थना की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अम्बालाल व बालकिशन एक ही व्यक्ति होना साबित नहीं हो पाने से उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

अभिलेख के अध्ययन से यह पाया जाता है कि धारा 136 की संक्षिप्त कार्यवाही में पटवारी व तहसीलदार की रिपोर्ट में प्रथम दृष्ट्या आवेदित भूमि के आस–पड़ौस से पूछताछ करने पर मृत खातेदार के दो नाम होना तथा अम्बालाल व बालकिशन एक ही व्यक्ति होना स्थापित नहीं होने से क्लेम निरस्त किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सुबूत भी प्रस्तुत नहीं किया है जो उनके पक्ष को मज़बूती दे सके। अतः ऐसी परिस्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.03.2025 बहाल रखा जाता है तथा प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
सभागीय आयुक्त
उदयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
सभागीय आयुक्त
उदयपुर